

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

* सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9431818346 / 9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार

मो० 9431091417

पत्रांक : 01.....

सेवा में,


प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- डा० श्वेता मिश्र (बि०प्र०से०) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता गया को निलम्बित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,


उपरोक्त विषयक जिला इकाई गया के बैठक की कार्यवाही एवं डा० श्वेता मिश्र का अभ्यावेदन (प्रति संलग्न) से स्पष्ट हो रहा है डा० श्वेता मिश्र को बगैर कारण पृच्छा किए दिनांक 28.11.2014 को निलम्बित कर दिया गया, जबकि वे अवकाश से लौटने के उपरान्त दिनांक 18.11.2014 से योगदान कर सरकारी कार्यों का सम्पादन कर रही थी। निलम्बन भी लगातार अनुपस्थिति एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण किया गया है जबकि वे दिनांक 13.10.2014 को चिकित्सा के कारण अवकाश पर गई एवं समय-समय पर अवकाश अवधि बढ़ाने का आवेदन जरूरी कारणों से देती रही है (सभी प्रति संलग्न)। जिला पदाधिकारी गया द्वारा श्रीमती श्वेता मिश्रा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अनुशंसा की गई है। बगैर कारण पृच्छा के निलम्बन करना न्यायोचित नहीं है वह भी मात्र मुख्यालय में अनुपस्थिति के कारण जबकि वे अवकाश पर थी एवं उनके विरुद्ध कोई अपराधिक या गबन का मामला भी नहीं है।

संघ का अनुरोध है कि डा० श्वेता मिश्रा को निलम्बन से मुक्त करने की कार्रवाई की जाए।


(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला इकाई गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० श्वेता मिश्र (बि०प्र०से०) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता गया को सूचनार्थ प्रेषित।


(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in, E-mail Id : infobasal@gmail.com

अध्यक्ष,

* सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9431818346/9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार

मो० 9431091417

पत्रांक :.....01.....



उपाध्यक्ष :-

संयुक्त सचिव :-

कोषाध्यक्ष :-

संयुक्त कोषाध्यक्ष :-

* सआदत हसन मिंटो

* राजेन्द्र राम

* राजयनन्द वार्डियार

* अनिल कुमार

* चन्द्र शेखर सिंह

* विनोद आनन्द

दिनांक 5/1/2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना।

विषय :-

डा० श्वेता मिश्र (बि०प्र०से०) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता गया को निलम्बित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक जिला इकाई गया के बैठक की कार्यवाही एवं डा० श्वेता मिश्र का अभ्यावेदन (प्रति संलग्न) से स्पष्ट हो रहा है डा० श्वेता मिश्र को बगैर कारण पृच्छा किए दिनांक 28.11.2014 को निलम्बित कर दिया गया, जबकि वे अवकाश से लौटने के उपरान्त दिनांक 18.11.2014 से योगदान कर सरकारी कार्यों का सम्पादन कर रही थी। निलम्बन भी लगातार अनुपस्थिति एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण किया गया है जबकि वे दिनांक 13.10.2014 को चिकित्सा के कारण अवकाश पर गई एवं समय-समय पर अवकाश अवधि बढ़ाने का आवेदन जरूरी कारणों से देती रही है (सभी प्रति संलग्न)। जिला पदाधिकारी गया द्वारा श्रीमती श्वेता मिश्रा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अनुशंसा की गई है। बगैर कारण पृच्छा के निलम्बन करना न्यायोचित नहीं है वह भी मात्र मुख्यालय में अनुपस्थिति के कारण जबकि वे अवकाश पर थी एवं उनके विरुद्ध कोई अपराधिक या गबन का मामला भी नहीं है।

संघ का अनुरोध है कि डा० श्वेता मिश्रा को निलम्बन से मुक्त करने की कार्रवाई की जाए।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला इकाई गया को सूचनार्थ प्रेषित।

महासचिव